

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

सुरेन्द्र सिंह यादव, सर्वेयर रणथंभौर बाघ परियोजना करौली, कार्यालय बाघ परियोजना
करौली गदका की चौकी, करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली – रेस्पोंडेण्ट
मु.नं.-08 / 2020 ता.रजु-12.02.2020

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक-26.02.2020

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर सिविल लाईन के राजकीय आवाशों में झगड़ा फसाद कर असामाजिक माहौल बनाने के संबंध में आवास नं. IV/05 को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत आभ्यावेदन दिनांक 13.11.2019 पर की गई कार्यवाही एवं आवास IV/05 के आबंटन निरस्त की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जिसे लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है जिससे जाहिर होता है एवं सूचना भी अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई है। अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।
5. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलाण्ट को सटीक, स्पष्ट सूचना उपलब्ध करावें।
6. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

